न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/22/2023 प्रार्थना पत्र दायर दिनांक 13.06.2023

उनवान

1. रामजस पुत्र मथुरालाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. अणछाई पुत्री मोहन जाति नाई आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
2. कैलाशचन्द्र पुत्र छोगालाल जाति नाई आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
3. गणपति पुत्री मोहन जाति नाई आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
4. देवीलाल पुत्र मोहन जाति नाई आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
5. प्रकाश चन्द्र पुत्र छोगालाल जाति नाई आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
6. राजुलाल पुत्र शंकर जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
7. लादुलाल पुत्र छोगालाल जाति नाई आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
8. शान्ता पुत्री छोगालाल जाति नाई आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
9. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।

––अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच –प्रार्थी
अधिवक्ता श्री कृष्णचन्द्र तुल्छिया –अप्रार्थी संख्या 1 से 8

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट0 :–

निर्णय दिनांकः 08.01.2025

–:निर्णयः–

यह कि ग्राम धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ के खाता संख्या 836 की आराजी संख्या 1319 रकबा 0.45 हैक्टर किस्म बारानी 2 स्थित है जो मुझ प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड खातेदारी में दर्ज होकर प्रार्थी काबिज काश्त है। चिरकाल से मुझ प्रार्थी के द्वारा काश्त किया जा रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात पर आने–जाने गाडी, बैल, मवेशी, फसल, टेक्ट्रर लाने ले जाने का रास्ता सरकारी रास्ता से होकर अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 8 के खातेदारी की आराजी संख्या 1315 के पुर्वी मेड व उत्तरी मेड से होकर मुझ प्रार्थी के खातेदारी की आराजी संख्या 1319 से होकर प्रार्थी अपनी आराजीयात पर पहुंचता है उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी अपने पुर्वजों के समय से करता चला आ रहा है। प्रमाणित जमाबन्दी व नक्शाट्रेस साथ संलग्न है ।

यह कि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 8 के खातेदारी के आराजी संख्या 1315 के पुर्वी मेड व उत्तरी मेड से होकर प्रार्थी अपनी आराजीयात में अपने पुर्वजों के समय से रास्ते के रुप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है मगर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 1 से 8 यदा कदा रास्ता बन्द करने की धमकी देते है। राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नही होने से प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात को विकसित नहीं कर पा रहा है।

यह कि प्रार्थी की आराजी संख्या 1319 में आने जाने गाडी, बैल, टेक्ट्र्र, फसल लाने ले जाने के लिये 7 मीटर चौडा रास्ता उक्त वर्णित अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 8 के खातेदारी की आराजी संख्या 1315 के पुर्वी मेड व उत्तरी मेड से दिलाया जाना आवश्यक है। नजरी नक्शे में लाल स्याही से वर्णित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजीयात में आने जाने के लिये और अन्य कोई रास्ता नही है अतः उक्त रास्ता प्रार्थी के नाम खातेदारी राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी विधि अनुसार रास्ता भूमि मुल्य अदा करने को तत्पर है।

यह कि दिनांक 30/05/2023 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को आराजीयात पर आने जाने के रास्ते को बन्द करने की धमकी दी व हल्का पटवारी से सम्पर्क किया पटवारी साहब ने न्यायालय से आदेश लाने को कहा जिससे बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 30/05/2023 से पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रार्थना पत्र कालम संख्या 1 में वर्णित खाता संख्या 836 की आराजी संख्या 1319 में आने जाने गाडी, बैल, फसल, मवेशी, लाने ले जाने के लिए 7 मीटर चौडा रास्ता आराजी संख्या 1315 के पुवी मेड व उत्तरी मेड से होकर प्रार्थी के खातेदारी की आराजीयात तक लम्बा रास्ता प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करावे, विधि अनुसार प्रार्थी भूमि शुल्क अदा करने को तत्पर है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0 का जवाब प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है–

1. यह कि प्रार्थना पत्र की कालम स० 1 अस्वीकार है प्रार्थी की आ०स० 319 रकबा 0.45 हैक्टर वाके मौजा धमाणा स्थित है प्रार्थी उसकी आ0स0 319 पर पहुचने के लिये ग्राम धमाणा से एक रेकार्ड रास्ता आम ख0न0 1302 पश्चिम की ओर जाता है उसमे होकर फिर यह रास्ता ख0न0 1316 सरकारी बिलानाम नाडी पर जाकर समाप्त हो जाता है उसके बाद प्रार्थी उत्तर की ओर मुड कर माधु जाट की आ०स० 1304 की दक्षिणी पाली से प्रवेश होता फिर इसी आराजी न0 1304 की पश्चिमी पाली के समानान्तर पश्चिम की ओर आगे बढता है फिर आ0न0 1313 की दक्षिणी पाली पर समानान्तर बढते हुये प्रार्थी अपनी विवादित आ०न० 1319 की पूर्वी पाली से प्रवेश करता है यह रास्ता कदीमानी है जो प्रार्थी अपने बाप दादाओ के समय से उपयोग करता आ रहा है तथा आज भी कर रहा है अप्रार्थीगण की आ0न0 1315 पर प्रार्थी का कोई रास्ता नही है तथा कमीश्नर साहब ने अप्रार्थी की आ०न० 1315 की पूर्वी तथा उत्तरी पाली पर जो रास्ता प्रस्तावित किया है वह झुठा किया है कमीश्नर साहब को हम प्रार्थीगण ने उक्त अंकित रास्ता मोतबीरो के सामने बताया तो भी कमीश्नर रिर्पोट मे तथ्यो को अंकित नही किया कमीश्नर रिर्पोट मोके के अनुसार असत्य तथ्यों पर आधारित है यह कंमीश्नर रिर्पोट हम अप्रार्थीगण को अस्वीकार है। हम अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय से निवेदन करते है कि अप्रार्थी द्वारा बताये गये रास्ते को रेकार्ड पर लाने हेतु नया कमिश्नर जारी किया जाना न्यायहित मे आवश्यक व न्यायोचित है क्योकि सही निर्णय करने वास्ते नई कमिश्नर रिर्पोट रेकार्ड पर मंगवाया जाना अपेक्षित है अप्रार्थीगण अपने जवाब प्रार्थना पत्र की ताईद मे नजरी मानचित्र प्रस्तुत कर रहे उसके जवाब प्रार्थना पत्र का अंग माना जावे मौके की स्थिति अनुसार प्रार्थी की आ०स० 1313 अप्रार्थी की आ०स० 1315 के उत्तर मे स्थित उत्तर है तथा अप्रार्थीगण की आ0न0 1315 जमीन से 3 फिट उची है क्योकि अप्रार्थीगण ने काली मिटटी भरा कर पडत जमीन को आबादान किया है अप्रार्थीगण की यह आराजी केवल 0.45 हैक्टर है जो सभी अप्रार्थीगण की सामलाती है हम नाई जाति के गरीब व्यक्ति है इस आ०स० 1315 के पूर्व मे भी 30 फिट तथा उत्तर मे भी 30 फिट रास्ता चौडा लम्बवत रास्ता दे दिया जाता है तो हम गरीब नाई जाति के लोगो की सारी आ0न0 1315 नष्ट हो जायेगी काश्त करने के लिये हमारे कोई जमीन नही रहेगी जबकि हमारी आ०न० 1315 पर प्रार्थी का कभी कोई रास्ता नही रहा है न ही आज है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की कालम स० 2 अस्वीकार है ।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की कालम स० 3 अस्वीकार है ।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की कालम स० 4 अस्वीकार है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की कालम स० 5 अस्वीकार है ।
6. यह कि प्रार्थना पत्र की कालम स० 6 अस्वीकार है।
7. यह कि प्रार्थना पत्र की कालम स० 7 अस्वीकार है ।
8. यह कि प्रार्थना पत्र की कालम स० 8 अस्वीकार है ।

यह कि प्रार्थी ने झूठे तथ्य बताकर झुठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो हम अप्रार्थीगण को अस्वीकार है अप्रार्थीगण मौके की स्थिति व कदिमानी रास्ता बाबत सही शपथ पत्र अपने जवाब प्रार्थना पत्र की ताईद मे प्रस्तुत करते है। अतः प्रार्थी की प्रार्थना अस्वीकार है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने की कृपा करावे।

उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार कपासन से मौका रिपोर्ट दिनांक 11.10.2023 प्राप्त होकर दिनांक 12.12.2023 को शा0फा0 की गई। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

   प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी निजी मौजा धमाणा की आराजीयात पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

   तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है। भूमि का किसी प्रकार का क्षय नहीं है।

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

   अप्रार्थीगण रास्ते के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात नहीं चाहते है।

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

   सहमति के प्रयास किये परन्तु सहमति नहीं बनी।

5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

   लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित अनुसार
   आ0नं0 1315 में से 0.09 हैक्ट0 (220 मी0 लम्बाई × 4 मी0 चौडाई)
   कुल प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल 0.09 हैक्ट0 है।
   कुल राशि डी0एल0सी0 दर 703307 रूपये प्रति हैक्टयर से 0.09 हैक्ट0 भूमि की राशि 63300 रूपये का दुगुना 126600 रूपये बनते है।

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा मौखिक बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में अंकित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर रास्ता उपलब्ध कराया जावें। वकील अप्रार्थीगण द्वारा बहस कर निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये–

1. **<u>2021(2) RRT 1286</u>**

   "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,1955 धारा 251 ए–एस.डी.ओ. ने वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता के तथ्य पर विचार किये बिना नया मार्ग स्वीकृत किया–पुरानी मौका रिपोर्ट पर विचार किया–बोर्ड द्वारा पारित पूर्व आदेश की पालना नहीं की–धारा 251 ए के अन्तर्गत सुगम मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नहीं–नया मार्ग स्वीकृत नही किया जा सकता यदि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है–निर्णित, आदेश अपास्त किये तथा पुनः निर्णित करने हेतु मामला प्रतिप्रेषित किया।"

   वकील अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है व सुगम मार्ग उपलब्ध कराने की दृष्टिकोण से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त के क्रम में वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मौका कमिश्नर रिपोर्ट में बताया गया मार्ग ही वैकल्पिक व निकटतम मार्ग है प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रार्थना पत्र पर लागू नहीं होता है।

2. **2019(1) RRT 403**

''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,1955 धारा 251 ए– नया रास्ता प्रदान करना–दो शर्तो का विद्यमान होना आवश्यक है–विरोधी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आज्ञापक है–प्रार्थी की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की–रिपोर्ट पर प्रार्थी के हस्ताक्षर नही–मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई–यह दर्शाने हेतु सामग्री नही कि एस.डी.ओ. ने मौका निरीक्षण किया–प्रतिकर अधिनिर्णित करना आज्ञापक है–नियम 70 की अपालना–निर्णित, आदेश संवहनीय नही है व अपास्त किया तथा विधि अनुसार पुनः निर्णित करने हेतु मामला प्रतिप्रेषित किया।''

उक्त न्यायिक दृष्टान्त पेश कर वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि पक्षकार को सुने बिना मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। उक्त के क्रम में वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार कपासन द्वारा बनायी गई है और पक्षकारान मौके पर उपस्थित थे, व संलग्न मौका रिपोर्ट में हस्ताक्षर करने से मना किया। साथ ही पक्षकारान को सुनकर ही मौका रिपोर्ट तहसीलदार कपासन द्वारा तैयार की गई है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रार्थना पत्र पर लागू नहीं होता है।

3. **2021(2) RRT 1264**

''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,1955 धारा 251 ए–एस.डी.ओ. ने 3 मीटर चौडा रास्ता खसरा संख्या 583 के किनारे स्वीकृत किया–प्रार्थी को 0.0206 हैक्टयर भूमि की डी0एल0सी0 के अनुसार राशि जमा कराने के निर्देश दिया–राजस्व अपील प्राधिकारी ने आदेश अपास्त किया तथा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया–तात्विक प्रश्न साक्ष्य लेखबद्ध करने के बाद निर्णित किये जायेगे–निर्णित, आलोच्य आदेश में अवैधता या अनियमितता नही है व यथावत रखा।

वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उक्त पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक निकटतम मार्ग अप्रार्थीगण की आराजीयात से दर्शाया गया है जबकि प्रार्थी की आराजीयात के पास उसके परिवार के अन्य सदस्यों की आराजीयात से रास्ता प्रस्तावित नहीं किया गया है, जो कि निकटतम वैकल्पिक मार्ग था, अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। उक्त के क्रम में वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित मार्ग निकटतम वैकल्पिक मार्ग है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। साथ ही वकील अप्रार्थी द्वारा किये गये निवेदन में मेरे परिवार के सदस्यों की लगती हुई आराजीयात से रास्ता प्रस्तावित नही किया जाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि न तो वे मेरे परिवार के निकटतम सदस्य है, और न ही उनकी आराजीयात से कोई लघुत्तम मार्ग उपलब्ध हो सकता है। अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी पुनः मौका कमिश्नर रिपोर्ट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में की गई थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रार्थना पत्र पर लागू नहीं होता है।

हमने की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उक्त पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त पत्रावल पर लागू नही होते है। अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी की आराजी नं0 1319 रकबा 0.45 हैक्ट0, स्थित है, पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 1315 से रास्ता चाह रहे है। उक्त रास्ता प्रार्थी उपयोग करते आ रहे है। तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः मौजा धमाणा की आ0 सं0 1319 पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी न0 1319 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की मौजा धमाणा की आ.न. 1315 है। जिससे रास्ते का प्रस्तावित रकबा आ0नं0 1315 में से 220मी0 × 4मी0 कुल क्षेत्रफल 0.09 हैक्ट0 है जिसका दिनांक 27.09.2023 के मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता कायम किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अनुसार कुल रकबा 0.09 हैक्ट0 की डीएलसी दर 703307 × 0.09 हैक्ट0 = 63300 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 126600/– रूपये अक्षरे एक लाख छब्बीस हजार छः सौ रूपये राशि जो कि अप्रार्थीगण को राजस्व रेकार्ड में हक हिस्से अनुसार देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के नाम हक हिस्से अनुसार डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भीतर–भीतर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन